

2016/00395

प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र

उनवान

वंशी लाल

बनाम

गुलाबचन्द

किस्म मुकदमा

धारा 223


मि. नं.

245/2016 सन्

अभिभाषक अपीलान्त

श्री महेश शर्मा

अभिभाषक रैस्पोंडेंट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-3-2021	<p>फत्वावली पेश हुई / जमीन मालिक अपीलान्त उपस्थित नहीं / बार-बार फूट फूट कर आवाजें लगवाई गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं हुआ / अतः फत्वावली जदम हाजरी एवं जदम परवी में रजिस्ट्रार की जाती है। फत्वावली फ़ैसल अुमार होकर बाद जमील एवं तकमील दाखिल दफ्तर है।</p> <p style="text-align: center;">(महेश लोका) प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह
पत्राची सेवा
27.6.2016



श्री ३२
रिपोरिंग
28.6.2016

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बारां, झालावाड़ जिला

(भूप्रबंधक कोटा)

अपील संख्या /16

बंशीलाल पुत्र सुखराम जाति मीणा, निवासी ग्राम भंवर तहसील छबड़ा,
जिला बारां (राज.)

—अपीलांत

बनाम

1. गुलाबचन्द पुत्र नामालूम,
2. कजोड़ पुत्र भंवरिया
3. धूल्या पुत्र भंवरिया
4. रामपति पुत्री भंवरिया

जातियान मीणा, निवासीगण ग्राम भंवर (तह. छबड़ा) जिला बारां (राज.)

5. राज्य सरकार जर्गे तहसीलदार, छबड़ा, जिला बारां (राज.)

—रेस्पो.

अपील बनाराजगी निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,

छबड़ा जिला बारां राज. तारीख 13.06.2016 अंतर्गत धारा 223

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत (वादी) बंशीलाल

मेहरा